



## कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 14 I.T.C दिनांक, देहरादून 20 नवम्बर, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**विषय :** Proposal for seeking approval of the Central Government under Forest (Conservation) Act. 1980 in favour of Uttarakhand Forest Development corporation, Dehradun for renewable of collection of Minor Minerals from 628.80 Ha. forest land of Song River 1,2,3 and Jakhan 1,2 for 10 years under Dehradun Forest Division, Uttarakhand regarding (FP/UK/MIN/38285/2019).

**संदर्भ :** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-8-62/1999 FC(VOL) दिनांक 09 सितम्बर, 2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग के कार्यालय पत्रांक 1845/12-1 दि० 20.11.2020 से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है -

**आपत्ति संख्या 01:-** Total calculated CA area from the KML files is found 1095.64 ha. whereas the actual CA area proposed is 1325.00 ha.

देहरादून वन प्रभाग द्वारा प्रस्तावित 1325 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	रेंज का नाम	वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल है० में
2015-16	लच्छीवाला	वनवाह-3	25.00
	मल्हान	करबारी 1बी	02.00
	थानों	सौड़ा ब्लॉक	25.00
		योग -	52.00
2016-17	लच्छीवाला	फतेहपुर ब्लॉक	15.00
	लच्छीवाला	वनवाह-2	18.00
	लच्छीवाला	वनवाह-3	35.00
	ऋषिकेश	बीबीवाला-3	12.00
	बड़कोट	गोलातप्पड़-8	10.00
	बड़कोट	रानीपोखरी-3बी	10.00
	बड़कोट	घमण्डपुर-4सी	10.00
	बड़कोट	जाखन-1	20.00
	थानों	सौड़ा ब्लॉक	20.00
	योग -	150.00	
2017-18	लच्छीवाला	वनवाह-1	20.00
	लच्छीवाला	वनवाह-3	17.00
	लच्छीवाला	वनवाह-3	23.00
	लच्छीवाला	वनवाह-3	25.00
	लच्छीवाला	जौली-1	15.00
	बड़कोट	जाखन-1 (भाग-1)	20.00
	बड़कोट	जाखन-1 (भाग-2)	20.00

	बड़कोट	गोलातप्पड़-2सी	20.00
	थानों	विधालना-1 (भाग-1)	25.00
	थानों	विधालना-1 (भाग-2)	25.00
	थानों	विधालना-3	25.00
	थानों	सौड़ा ब्लॉक	25.00
	झाझरा	डूंगा-1ए	10.00
	आसारोड़ी	कड़वापानी-2बी	10.00
	ऋषिकेश	बीबीवाला-3	20.00
		योग-	<b>300.00</b>
2018-19	लच्छीवाला	लच्छीवाला-2	15.00
	लच्छीवाला	वनवाह-3	22.00
	लच्छीवाला	वनवाह-3	20.00
	लच्छीवाला	वनवाह-3	24.00
	लच्छीवाला	लच्छीवाला-3	30.00
	लच्छीवाला	लच्छीवाला-1 (भाग-1)	10.00
	लच्छीवाला	लच्छीवाला-2	10.00
	ऋषिकेश	लालपानी-1	20.00
	ऋषिकेश	बीबीवाला-5	17.00
	ऋषिकेश	लालपानी-2	25.00
	ऋषिकेश	बीबीवाला-5	18.00
	थानों	सौड़ा ब्लॉक	30.00
	थानों	बिधालना-2	20.00
	थानों	विधालना-1	10.00
	थानों	प्लेड-1	7.00
	थानों	भोगपुर-6	13.00
	थानों	भोगपुर-6	20.00
		कुल	<b>311.00</b>
2019-20	लच्छीवाला	लच्छीवाला-19ए	20.00
	लच्छीवाला	लच्छीवाला-3बी	10.00
	लच्छीवाला	जौली-1 (भाग-1)	15.00
	लच्छीवाला	लच्छीवाला-3बी	15.00
	लच्छीवाला	सौंग-2	15.00
	लच्छीवाला	लच्छीवाला-19ए	10.00
	लच्छीवाला	सौंग-2	10.00
	लच्छीवाला	जौली-1 (भाग-2)	15.00
	लच्छीवाला	जौली-1	10.00
	थानों	भोगपुर-6	20.00
	थानों	जौली-2	10.00
	थानों	मालकोट-9	10.00
	थानों	रामनगर-74	10.00
	थानों	लम्बीरौ-72	5.00
	थानों	भोगपुर-2	20.00
	थानों	भोपालपानी-4 व 5	10.00
	थानों	भोगपुर-1बी	20.00
	बड़कोट	चाण्डी-2	10.00

	बड़कोट	भानियावाला-2बी	10.00
	ऋषिकेश	बीबीवाला पूर्वी-8बी	10.00
	ऋषिकेश	लालपानी-1	10.00
	ऋषिकेश	लालपानी-2	15.00
	मल्हान	कारबारी-1बी	10.00
	मल्हान	कालूवाला-1	10.00
		योग-	<b>300.00</b>
2020-21	थानों	भोगपुर	10.00
	थानों	मालकोट-9	10.00
	थानों	कोटीघुड़साल-1	5.00
	थानों	पत्थरखान-2	10.00
	थानों	प्लेड-2	10.00
	थानों	प्लेड-7	10.00
	थानों	लम्बीरॉ-70	5.00
	थानों	वनवाह-1	20.00
	थानों	वनवाह-1	5.00
	थानों	वनवाह-3 (प्रथम)	5.00
	थानों	वनवाह-3 (द्वितीय)	5.00
	थानों	जौली-1	5.00
	ऋषिकेश	बीबीवाला-5	12.00
	ऋषिकेश	बीबीवाला-7बी	10.00
	ऋषिकेश	बीबीवाला-5 (भाग-प्रथम)	5.00
	ऋषिकेश	बीबीवाला-5 (भाग-द्वितीय)	5.00
	मल्हान	कारबारी-1ए (भाग-प्रथम)	10.00
	मल्हान	कारबारी-1ए (भाग-द्वितीय)	10.00
	बड़कोट	घमण्डपुर-4सी	20.00
	बड़कोट	जाखन-1	10.00
	बड़कोट	गोला-8	10.00
	आसारोड़ी	चन्द्रबनी-20	10.00
	आसारोड़ी	कड़वापानी-4ए	10.00
		योग -	<b>212.00</b>
		कुल योग-	<b>1325.00</b>

आपत्ति सं0 02 : Out of total area proposed for CA, 71 ha of land is classified as Very Dense Forest (VDF) and about 298 ha of land is classified as Moderately Dense Forest (MDF), which need to be changed.

उक्त आपत्ति के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-8-62/99-FC दिनांक 26.05.2009 को जिनकी एफ0सी0 उत्तराखण्ड वन विकास निगम को दस वर्ष हेतु प्राप्त हुई थी, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

सारणी-01

क्र० सं०	नदी का नाम	क्षेत्रफल
01	गुलाट नदी	30.00 है०
02	दरेड़ नदी	20.00 है०
03	सौंग नदी प्रथम	225.00 है०
04	सौंग नदी द्वितीय	273.00 है०
05	सौंग नदी तृतीय	270.00 है०
06	जाखन नदी प्रथम	195.00 है०
07	जाखन नदी द्वितीय	100.00 है०
08	चन्द्रभाग नदी प्रथम	168.00 है०
09	चन्द्रभाग नदी द्वितीय	29.00 है०
10	लक्कड़घाट नदी ऋषिकेश	15.00 है०
	कुल	1325.00 है०

उक्त एफ०सी० के क्रम में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ई०सी० एवं एन०बी०डब्ल्यू०एल० क्लीयरेन्स प्राप्त होने के बाद निम्न नदियों में ही उप खनिज निकासी का कार्य किया गया :-

सारणी-02

क्र० सं०	नदी का नाम	क्षेत्रफल
01	सौंग नदी प्रथम	225.00 है०
02	सौंग नदी द्वितीय	273.00 है०
03	सौंग नदी तृतीय	270.00 है०
04	जाखन नदी प्रथम	195.00 है०
05	जाखन नदी द्वितीय	100.00 है०
	कुल	1063.00 है०

उक्त 1063.00 है० उपखनिज चुगान क्षेत्र के सापेक्ष देहरादून प्रभाग द्वारा कुल 1325.00 है० क्षेत्र में पूर्व में ही क्षतिपूरक वनीकरण किया गया है। सारणी-01 के क्र०सं०-01, 02, 08, 09 तथा 10 पर अंकित नदियों के ई०सी० प्राप्त न हो पाने के कारण इन नदियों में उपखनिज चुगान कार्य नहीं किया गया है।

वर्तमान समय में प्रस्तावित लौट सौंग-1, 2, 3, जाखन-1 व 2 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-F.No. 8-62/99-FC दिनांक 26.05.2009 द्वारा स्वीकृत उपखनिज चुगान लौटों के आगामी 10 वर्ष के लिये नवीनीकरण प्रस्ताव है, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियम, 2003 (दिशा-निर्देश एवं स्पष्टता) के खण्ड तीन के बिन्दु संख्या (viii) के उपबिन्दु (d) (प्रति संलग्न) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट नियम के अनुसार पुनः क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा प्रेषित आपत्ति संख्या-02 में उल्लिखित 71.00 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण के क्षेत्र VDF तथा 298.00 है० क्षेत्र MDF में दिखने का प्रश्न है, इसके सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट करना है कि उन क्षेत्रों में देहरादून वन प्रभाग द्वारा इसी परियोजना के अन्तर्गत विगत वर्षों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य सम्पन्न कराया गया है तथा यह क्षेत्र वर्तमान में लीज नवीनीकरण हेतु चयनित नहीं किये गये हैं।

अतः कृपया प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

( पी०के० पात्रो )

वन संरक्षक,

शिवमलिक वृत्त, देहरादून।